



No. RO-LKO-25012/1/2020-RO-LKO /3423

दिनांक: 20.07.2023

सेवा में,
कुलपति,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ- 250001,
उत्तर प्रदेश,

विषय: आधार कार्ड के डेटा का ऑफ़लाइन विवरण जमा करने हेतु के संदर्भ में.

कृपया पत्र संख्या: 2023/06/SFCF/009 दिनांक: 24.06.23 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्ववित्त पोषित महाविश्वविद्यालय संघ से प्राप्त पत्र द्वारा शिक्षकों के आधार की रंगीन प्रति जमा करने हेतु सूचना प्राप्त हुई है। इस विषय में आधार अधिनियम 2016 के नियम 28 का बिंदु संख्या 05 आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है:

5. Responsibility of any agency or entity other than requesting entity with respect to Aadhaar number. —
(According to regulation 28 of the Aadhaar (Authentication) Regulations, 2016)

(1) Any individual, agency or entity which collects Aadhaar number or any document containing the Aadhaar number, shall:

(a) collect, store and use the Aadhaar number for a lawful purpose;

(b) inform the Aadhaar number holder the following details:—

- the purpose for which the information is collected;
- whether submission of Aadhaar number or proof of Aadhaar for such purpose is mandatory or voluntary, and if mandatory, the legal provision mandating it;
- alternatives to submission of Aadhaar number or the document containing Aadhaar number, if any;

(c) obtain consent of the Aadhaar number holder to the collection, storage and use of his Aadhaar number for the specified purposes.

(2) Such individual, agency or entity shall not use the Aadhaar number for any purpose other than those specified to the Aadhaar number holder at the time of obtaining his consent.

(3) Such individual, agency or entity shall not share the Aadhaar number with any person without the consent of the Aadhaar number holder.

आधार अधिनियम 2016 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के आधार का ऑफ़लाइन डेटा जैसे कि प्रति इत्यादि को मंगाना एवं जमा करना जरूरी नहीं है, आधार अधिनियम इसे बढ़ावा नहीं देती है। किसी भी व्यक्ति के आधारसंख्या सत्यापन के संबंध में प्राधिकरण की वेबसाइट के लिंक <https://resident.uidai.gov.in/aadhaarverification> पर सूचना प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त आधार क्यूआर कोड स्कैनर हेतु लिंक https://play.google.com/store/apps/details?id=in.net.uidai.qrcodes_canner&hl=en_IN का प्रयोग किया जा सकता है।

यह सूचना आपके सुलभ सन्दर्भ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी है।

भवदीया
ममता
(ममता)
उपनिदेशक